शेयरधारको,

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षित लेखों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट आपके निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. निष्पादन की समीक्षा – विशिष्टताएं

1.1 वित्तीय निष्पादनः

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा :

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015-16	2014-15
कुल राजस्व	**205261.1**	206131.6
कुल व्यय	**243613.3**	264661.8
आपवादिक तथा असाधारण मदें एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**(38352.2)**	(58530.2)
आपवादिक मदें	**773.2**	(528.2)
असाधारण मदें एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**(37579.0)**	(59058.4)
असाधारण मदें	**(788.8)**	459.3
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(38367.8)**	(58599.1)
घटाकर : कर के लिए प्रावधान	**-**	-
निवल लाभ/(हानि)	**(38367.8)**	(58599.1)

1.2 वास्तविक निष्पादन :

विवरण	इकाई	2015-16	2014-15
ए एस के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**51208**	48859
ए एस के एम (कुल)	मिलियन	**51517**	49050
पी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**38694**	36000
पी के एम (कुल)	मिलियन	**38695**	36000
ए टी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**6881**	6624
ए टी के एम (कुल)	मिलियन	**6916**	6651
आर टी के एम (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**4327**	4143
आर टी के एम (कुल)	मिलियन	**4327**	4143
यात्री भार घटक	%	**75.6**	73.7
समग्र भार घटक	%	**62.6**	62.5
वहन किए गए यात्रियों की संख्या (अनुसूचित सेवाएं)	मिलियन	**18.0**	16.8
वहन किए गए यात्रियों की संख्या (कुल)	मिलियन	**18.4**	17.2
माल वहन	टन	**192809**	193495
कुल राजस्व उड़ान घंटे	संख्या	**356182**	337335

2. अन्य वित्तीय सूचना

2.1 शेयर पूंजी

प्राधिकृत शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,000,00,00,000/– रुपए है जो 10/–रुपए प्रति के 2,500,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी

31 मार्च, 2016 को कंपनी की जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी 21,496,00,00,000/–रुपए है जो 10/–रुपए प्रति के 21,496,000,000 पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों में विभाजित है। वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने 33,000 मिलियन रुपए इक्विटी पूंजी के रूप में प्रदान किए हैं।

2.2 विमान परियोजना ऋण :

31 मार्च, 2016 को विमान ऋण की स्थिति, जिसमें वित्त लीज़ तथा विमान वित्तपोषण के लिए जारी किए गए अपरिवर्तनीय ऋण–पत्रों के संबंध में भविष्य की लीज़ देयताएं शामिल हैं, निम्नानुसार है :–

(रुपए मिलियन में)

01 अप्रैल, 2015 को कुल ऋण देय	2,25,740.92
जोड़कर : 2015–16 के दौरान ली गई राशि	14,477.28
घटाकर : 2015–16 के दौरान चुकाई गई राशि	25,955.28
जोड़कर : मुद्रा की दरों में परिवर्तन के कारण विनिमय समायोजन	7,772.30
31 मार्च, 2016 को शेष	2,22,035.22

2.3 वार्षिक योजना परिव्यय 2015–16

(रुपए मिलियन में)

	अनुमोदित	वास्तविक
विमान परियोजनाएं		
विमान/स्पेयर इंजन निर्माताओं को भुगतान पूंजीगत किया जाने वाला ब्याज	2,550.00	4,742.50
गैर–विमान परियोजनाएं		
अन्य पूंजीगत व्यय	4,500.00	2,283.10
भारत सरकार द्वारा इक्विटी इन्फ्यूज़न	25,000.00	33,000.00
कुल योजना परिव्यय	32,050.00	40,025.60

2.4 वार्षिक योजना परिव्यय 2016–17

वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 20,650.00 मिलियन रुपए है। कंपनी ने जून 2016 तक 10,770.60 मिलियन रुपए खर्च किए हैं।

2.5 बारहवीं पंचवर्षीय योजना – 2012–13 से 2016–17 : (अनुमोदित)

(रुपए मिलियन में)

विमान परियोजनाएं	11,730.00
गैर–विमान परियोजनाएं	18,650.00
सरकार से बजटीय सहायता	1,50,960.00
कुल योजना परिव्यय	**1,81,340.00**

3. निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का ही भाग है। दो बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के अनुसार था।

4. सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों के बारे में सूचना

कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं :

एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड
एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड
एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया के पास भारतीय होटल निगम के 80% इक्विटी शेयर हैं तथा शेष 20% शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं।

ग्राउंड हैंडलिंग नीति पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में कुछ मेट्रो एयरपोर्टों पर एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी का 50:50 के अनुपात में सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज़ (सैट्स) के साथ संयुक्त उद्यम समझौता है।

5. औद्योगिक संबंध

वर्ष 2015–16 के दौरान कर्मियों से संबंध सौहार्दपूर्ण रहे ।

6. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

यद्यपि सामर्थ्यता तथा सीएसआर पर दिनांक 2 नवम्बर, 2012 को सीपीएसई के लिए जारी दिशा–निर्देशों के तहत एअर इंडिया के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए विशेष फंडिंग निर्धारित करना अनिवार्य नही था, तथापि जहां कहीं संभव हो व्यापार प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रक्रिया को एकीकृत कर तथा ऐसी पहल, जिनमें नकद व्यय सम्मिलित न हो, के माध्यम से सीएसआर लक्ष्यों को हासिल करना अपेक्षित था। सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों को बचत/संरक्षण अथवा अन्य निजी/सार्वजनिक संगठनों के साथ सहकारिता/सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है।

एअर इंडिया सीएसआर गतिविधियों जैसे आयटा की सहायता से फ्यूल एफिशिएंसी गैप एनालिसिस, ग्रीन केबिन सेवाएं, ईंधन प्रबंधन सेवाएं, एफडब्ल्यूज़ेड–सबरे फ्लाइट प्लानिंग सिस्टम के माध्यम से सतत विकास गतिविधियों को पूरा कर रही है।

एअर इंडिया उड़ान के दौरान उड़ानगत मनोरंजन प्रणाली में भारत के ऐतिहासिक स्मारकों की फिल्मों को बढ़ावा देकर संस्कृति मंत्रालय के समन्वय से 'आदर्श स्मारक' योजना को प्रोत्साहित कर रही है। एअर इंडिया खेल गतिविधियों को भी सहायता व बढ़ावा दे रही है।

7.1 लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन/सहायता

कंपनी ने एमएसएमई इकाइयों/समाज कल्याण/धर्मार्थ संगठनों को सहायता जारी रखी। वर्ष के दौरान एमएसएमई इकाइयों से प्रापण तथा सामाजिक/धर्मार्थ संगठनों से 452.70 मिलियन रुपए की सलेक्टिव सोर्सिंग/प्रापण किया गया।

7.2 पर्यावरण सुरक्षा

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण, नो कार डे, नो प्लास्टिक बैग डे

आयोजित किए गए। एअर इंडिया ने ऊर्जा बचत जागरूकता को भी बढ़ावा दिया है जिसके तहत 26 मार्च 2016 को सभी अनावश्यक लाइटें बंद कर अर्थ आवर मनाया गया। संगठन में ऊर्जा संरक्षण के उपाय भी किए गए हैं जिसके तहत सीएफएल लैंप और ट्यूबलाइट के स्थान पर ऊर्जा की बचत करने वाली एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं।

जुलाई 2015 में, आयटा पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम के पहले चरण के मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया जिसके तहत विमानन उद्योग के आंतरिक व बाह्य पर्यावरण विशेषज्ञों की संयुक्त टीम द्वारा विशेष रूप से विमानन क्षेत्र के लिए तैयार किए गए पर्यावरणीय मानकों तथा संस्तुत प्रचलनों का उपयोग किया जाता है। ये मानक मान्यताप्राप्त पर्यावरणीय प्रबंधन सिस्टम सिद्धांतों जैसे आईएसओ 14001 पर आधारित होते हैं। मूल्यांकन विमानन एवं पर्यावरणीय ऑडिटिंग में सक्षम मान्यताप्राप्त स्वतंत्र संगठनों द्वारा किया जाता है।

एअर इंडिया ने 31 मार्च 2016 को ईयू उत्सर्जन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तथा वर्ष 2015 के लिए यूरोप के भीतर प्रचालित उड़ानों हेतु निश्चित उत्सर्जन के ईयू पर्यावरणीय विनियमों के अनुसार सभी अनुपालन दायित्वों को पूरा किया है।

मार्च 2016 में, वर्मी–कम्पोस्ट (कृमि सम्मिश्रण) तथा रिसाइकिल्ड स्क्रैप मटेरियल का उपयोग कर वनस्पति कूड़े से जैविक खाद तैयार करने की परियोजना आरंभ की गई है। मुंबई में पांच वर्मीकल्चर यूनिट लगाई गईं हैं जिसके फलस्वरूप 500 किग्रा जैविक खाद तैयार हुई। एअर इंडिया को पर्यावरण संरक्षण तथा गुणवत्ता प्रबंधन के प्रयासों के लिए सराहा गया है तथा निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- वर्ष 2015 के लिए सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संवहनीयता हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता उत्कृष्टता पुरस्कार।
- वर्ष 2015 के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी हेतु सर्वोत्कृष्ट योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पुरस्कार।

पर्यावरण बचाव तथा स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए 5–10 जून 2016 तक हरित सप्ताह मनाया गया।

दिल्ली में 10 जून 2016 को सचिव, नागर विमानन, श्री आर.एन.चौबे द्वारा 50 किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया जिसके बाद वृक्षारोपण किया गया।

8. सतर्कता

एअर इंडिया का सतर्कता विभाग संगठन की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए जिम्मेदार है तथा यह विभाग सुनिश्चित करता है कि संगठन की कार्यप्रणाली निर्धारित नियमों/विनियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार है, और इसमें कोई विचलन नहीं है। यह निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के वास्तविक/न्यायोचित या दुर्भावपूर्ण होने की जांच करता है तथा यदि इसमें कोई चूक मिलती है तो इसे यथोचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकरियों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा सिस्टम/प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश करता है।

सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित कार्यसूची के अनुसार कार्य करते हुए समय–समय पर उनके द्वारा चिह्नित प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है। कंपनी की कार्यप्रणाली तथा दिन–प्रतिदिन के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का लाभ उठाने हेतु भी कार्रवाई की जा रही है।

31 अक्तूबर से 5 नवंबर 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के भाग के रूप में जनजीवन में ईमानदारी के महत्त्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूल तथा कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एअर इंडिया के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता शपथ के अतिरिक्त सत्यनिष्ठा शपथ भी दिलाई गई। 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध राइड' की थीम पर दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नै में साइक्लोथन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 400 प्रोफेशनल साइकिल सवारों ने भाग लिया। प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार से भी जागरूकता फैली।

नियमित निवारक उपायों के भाग के रूप में भारत तथा विदेशों में विभिन्न स्टेशनों पर निरीक्षण किए गए। भ्रष्टाचार का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए भारत के विभिन्न स्टेशनों में नियमित रूप से औचक जांच भी की गई।

9. राजभाषा कार्यान्वयन

कार्यालय में हिंदी प्रसार की मानीटरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 57 राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालयी कार्य हिंदी में करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिंदी डेस्क–टू–डेस्क कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 135 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने हिंदी की प्रगति की समीक्षा के लिए भुवनेश्वर, श्रीनगर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद तथा भोपाल स्टेशनों का राजभाषा निरीक्षण किया। नागर विमानन मंत्रालय ने भी जम्मू तथा चेन्नै स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस अवधि के दौरान कंपनी के राजभाषा विभाग द्वारा चेन्नै, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, अमृतसर, रायपुर, भोपाल स्टेशनों तथा मुख्यालय के 8 विभागों का राजभाषा निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रों के राजभाषा विभाग ने भी विभिन्न संबंधित स्टेशनों एवं विभागों का राजभाषा निरीक्षण किया।

एअर इंडिया की हिंदी गृह पत्रिका ''विमानिका'' को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा ''विमानिका'' को विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किया गया।

एअर इंडिया में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी प्रोत्साहन योजना संशोधित की गई है। एअर इंडिया वेबसाइट तथा ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली में सूचनाएं नियमित आधार पर हिंदी में भी अपडेट की गईं। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी पखवाड़ा मनाया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नागर विमानन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी गई।

10. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं 1991 तथा 1996 से प्रभावी संशोधित निदेशों के अनुसार आरक्षण नीति कार्यान्वित की गई है ।

अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग – 31 मार्च 2016 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा. के कर्मचारियों का प्रतिशत	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
19285	4000	20.74	1406	7.29	1288	6.67

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति का उद्देश्य अपने प्रचालन के सभी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व के साथ–साथ सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना है। कंपनी सदैव अपने सभी स्टेकहोल्डर अर्थात् ग्राहकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों और समाज के प्रति समग्र रूप से प्रतिबद्ध रहते हुए कंपनी की छवि को बनाए रखने तथा इसके मूल्य संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रही है। कंपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है और उसे पूरा करने के लिए इसने विभिन्न पहल शुरू की हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी प्रतियोगी निगमित ऋण नीतियों, विवेकपूर्ण निगमित एवं व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं, योजनाबद्ध मॉनीटरिंग तथा जोखिमों को कम करने के उपायों को अपनाने के साथ ही, संगठन में नियंत्रण

एवं संतुलन जोकि व्यक्तियों, संपत्ति, समानता और निष्पक्षता के लिए महत्त्वपूर्ण है, के सृजन के माध्यम द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रही है। कंपनी सुदृढ़ व्यावसायिक पद्धतियों को अपनाती है और पारदर्शी ढंग से अपना व्यवसाय करती है। कंपनी अपने सभी कार्यों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

एकीकरण समझौता कार्यक्रम (इंटेग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम) दिनांक 08 फरवरी 2008 से कार्यान्वित किया गया था। 100 मिलियन रुपए और उससे अधिक मूल्य की सभी संविदाओं के संबंध में इंटेग्रिटी पैक्ट को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से दी गई है।

12. बिज़नेस की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के बिज़नेस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

13. लाभांश

2015–16 में हुई हानि को देखते हुए, निदेशकों ने लाभांश देने की कोई सिफारिश नहीं की।

14. दावा नहीं किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरण

चूंकि पिछले वर्षों का भुगतान न किया गया/दावा न किया गया लाभांश नहीं था, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

15. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपनी सहायक कंपनियों को ऋण/गारंटी प्रदान की है तथा उनमें निवेश किया है। 31 मार्च, 2016 को ऐसे निवेशों तथा ऋण/गारंटी का विवरण नोट 9, 10 तथा 25 ख के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

16. जमा (डिपॉजिट)

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

17. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरामीटरों के अनुसार पारिश्रमिक/अनुलाभ/प्रोत्साहन संबंधी नीतियों को तैयार एवं उनकी समीक्षा करती है। सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक के निर्धारण सहित एअर इंडिया के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) की अपेक्षानुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन गैर–कार्यपालक निदेशक सम्मिलित हैं:

निदेशक का नाम	समिति में पद	निदेशक की श्रेणी
प्रो. रविन्द्र ढोलकिया	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
प्रो. प्रेम व्रत	सदस्य	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अश्वनी लोहानी	सदस्य	कार्यपालक गैर–स्वतंत्र निदेशक

एअर इंडिया सरकारी कंपनी है तथा निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों से संबंधित धारा 178 (2) / (3) / (4) की प्रयोज्यता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

18. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों तथा डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कंपनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया। 31 मार्च, 2016 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

निदेशक का नाम	समिति में पद	निदेशक की श्रेणी
श्रीमती रेणुका रामनाथ	अध्यक्ष	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
सुश्री गार्गी कौल	सदस्य	अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशक
प्रो. प्रेम व्रत	सदस्य	अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
श्री अश्वनी लोहानी	स्थायी आमंत्रित	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
निदेशक – वित्त	विशेष आमंत्रित	कार्यात्मक निदेशक
कार्यपालक निदेशक – आंतरिक लेखा परीक्षा	विशेष आमंत्रित	कार्यपालक निदेशक

19. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की विस्तृत रिपोर्ट अलग से दी गई है।

20. बोर्ड, इसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय, जोकि कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकारी कंपनी होने के कारण एअर इंडिया के निदेशकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय (नागर विमानन मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

21. निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति व उनके वेतन के लिए नीति

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के तहत आपकी कंपनी को सरकारी कंपनी होने के कारण सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

22. स्वतंत्रता संबंधी घोषणा

श्री रविन्द्र ढोलकिया, श्री प्रेमव्रत, श्री गुरचरण दास, एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) के.के. नोहवार तथा श्रीमती रेणुका रामनाथ को नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (10) की अपेक्षानुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि कंपनी द्वारा यथोचित रूप से नियुक्त किए गए सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा दी हैं तथा वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं।

23. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	समाप्ति का तरीका
1	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12.08.2011	31.08.2015	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामांकन की अवधि नहीं बढ़ाई गई
2	श्री एस. वेंकट	निदेशक (वित्त)	12.12.2011	31.10.2015	कंपनी से सेवानिवृत्त
3	श्री एस. एस. मोहंती	नामित निदेशक (ना.वि.मं.)	11.02.2015	06.05.2015	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामांकन की अवधि नहीं बढ़ाई गई
4	सुश्री गार्गी कौल	नामित निदेशक (ना.वि.मं.)	06.05.2015		
5	श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31.08.2015		
6	श्री विनोद हेजमाडी	निदेशक (वित्त)	01.11.2015		

24. यौन उत्पीड़न

कंपनी में 'कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) से संबंधित अधिनियम, 2013' की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति लागू है। यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, कॉन्ट्रेक्ट पर कार्यरत, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का सारांश निम्नानुसार है:

प्राप्त शिकायतों की संख्या	6
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3

25. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

- वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा जहां कोई भी बदलाव है वहां आवश्यक स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

- लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाए गए तथ्यों को छोड़कर चयनित लेखांकन नीतियां संगत रूप से लागू की गईं हैं एवं 31 मार्च, 2016 को कंपनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।
- कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- वार्षिक लेखे 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए हैं तथा ये सिस्टम उपयुक्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

26. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन तथा समेकित लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

27. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स वर्मा एंड वर्मा, कोच्चि, मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, दिल्ली एवं मैसर्स सारदा एंड परीक, मुंबई को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों पर प्रबंध वर्ग के स्पष्टीकरण/व्याख्या इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

28. सचिवीय लेखा परीक्षा

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा कराने के उद्देश्य से मैसर्स जीवन प्रकाश सैनी, कंपनी सचिव, नई दिल्ली की नियुक्ति की गई है। लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों/प्रतिकूल टिप्पणियों पर प्रबंध वर्ग के स्पष्टीकरण/व्याख्या सहित 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

29. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणी का सार निर्धारित फार्म एमजीटी–9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

30. आर्थिक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (i) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार, 31 मार्च, 2016 तथा निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि के बीच निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिन्होंने कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया:

भारत सरकार ने कंपनी में अप्रैल 2016–जनवरी, 2017 के दौरान 23,280.0 मिलियन रुपए इक्विटी के रूप में दिए हैं।

मैसर्स एएलएएफसीओ से 14 ए320 नियो विमान ड्राई लीज़ पर लेने के लिए बोर्ड ने अपना अनुमोदन दे दिया है।

31. संबंधित पार्टी लेन–देन

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के सभी लेन–देन स्वतंत्र आधार पर तथा सामान्य बिज़नेस के रूप में किए गए हैं। कंपनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा अन्य पदनामित व्यक्तियों के साथ आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण ऐसा कोई भी संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया जिसके सामान्य तौर पर कंपनी हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो।

32. जोखिम प्रबंधन

जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रबंध वर्ग को पहले से ही जोखिमों पर जानकारी दी जाती है ताकि कंपनी सुनियोजित योजना के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर सके। जोखिम को वित्तीय जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना बनाते समय जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है। कंपनी को भी व्यवसाय संबंधी जोखिम तथा उनसे निपटने के लिए की गई कार्रवाई से समय–समय पर सूचित किया जाता है। कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर रही है:

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का विवरण उपलब्ध कराना।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्पष्ट करना।
- प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना निर्धारित करना।
- "जोखिम" के लिए ऐसी संस्कृति विकसित करना जो सभी कर्मचारियों को जोखिम तथा उससे संबंधित स्थितियों को पहचानने तथा उससे निपटने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करे।
- कंपनी के मानव, भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कम से कम बाधाओं व लागत के साथ सुनियोजित व समन्वित तरीके से मौजूदा व नए जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं नियंत्रण।

33. न्यायालय के आदेश

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा गोइंग कंसर्न स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्त्वपूर्ण तथा व्यापक आदेश पारित नहीं किए गए।

34. सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों तथा एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन पर एएस–23 तथा संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एएस–27 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर एएस–21 के अनुसार, कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का ही भाग है।

35. कर्मचारियों के विवरण तथा संबंधित प्रकटन

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134 (3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है। परिणामस्वरूप, धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति तथा अन्य मामलों पर कंपनी की नीति संबंधी विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार, धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित धारा 197 (12) के संदर्भ में, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक व मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन तथा ऐसे अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, जैसे–कंपनी में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा अन्य विवरण दर्शाता ब्योरा, कर्मचारी 'पूरे वित्तीय वर्ष'/'वित्तीय वर्ष में कुछ समय' के लिए रोजगार प्राप्त थे, क्या नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था, आदि। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को किसी भी सहायक कंपनी से किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक अथवा कमीशन प्राप्त नहीं होता है। सरकारी कंपनी होने के कारण एअर इंडिया के निदेशक सरकारी/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं जिसमें योग्यता/अन्य मामलों को निर्धारित करने हेतु वेतन के मानदंड निर्धारित करना भी सम्मिलित होता है।

36. सावधानी संबंधी वक्तव्य

कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं, आकलनों, अपेक्षाओं का वर्णन करते हुए प्रबंधन के विचार–विमर्श एवं विश्लेषण संबंधी वक्तव्य, लागू नियमों एवं विनियमों के तहत दूरदर्शी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा सूचित किए गए परिणामों से व्यापक रूप में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कारकों में मांग/पूर्ति को प्रभावित कर रही आर्थिक स्थितियां, घरेलू एवं विदेशी बाज़ार, जहां कंपनी प्रचालन करती है, में वैश्विक आर्थिक एवं मूल्य निर्धारण स्थितियां, सरकार की नीतियों, विनियमों, कर–कानूनों तथा अन्य अधिनियमों में परिवर्तन के साथ–साथ अन्य आकस्मिक कारक सम्मिलित हैं। एयरलाइन की लाभप्रदत्ता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारक ईंधन है जो इसकी कुल लागत का लगभग 31% है तथा इसके मूल्य में होने वाला कोई भी बड़ा परिवर्तन एयरलाइन की लाभप्रदत्ता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक एवं आर्थिक कारक जैसे मंदी, ग्लोबल बाज़ार में मुद्रा संकट, भू–राजनैतिक स्थितियां तथा स्थिरता, यूएस डालर (जिसमें कंपनी के अधिकतर ऋण/व्यय होते हैं) की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव भी कंपनी के निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं ।

37. धन्यवाद प्रस्ताव

बोर्ड, भारत एवं विदेश में कंपनी की सेवाओं का उपयोग कर रहे सम्माननीय ग्राहकों की हार्दिक सराहना करता है एवं आशा करता है कि उनका सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होता रहेगा। बोर्ड कंपनी के सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सच्ची एवं निष्ठावान सेवाओं की भी विशेष सराहना करता है।

बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नागर विमानन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से कंपनी के प्रचालनों, वित्तीय पुनर्संरचना योजना एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड डी.जी.सी.ए., भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइनों, एजेंटों, तेल कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं एक्ज़िम बैंक, यूएसए तथा केएफडब्ल्यू बैंक सहित बैंकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

हस्ता/–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2017